जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 24 प्रभात हिण्डौन सिटी, बुधवार 27 नवम्बर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

29 नवम्बर को कांग्रेस मंथन करेगी, हरियाणा व महाराष्ट्र की हार के बारे में

उस दिन आहूत सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक में राहुल गांधी पर दबाव होगा कि वे कांग्रेस की भावी नीति के बारे में दिशा व राह तय करके बतायें

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। कांग्रेस 29 नवम्बर को हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार पर मंथन एवं चिन्तन करेगी। इन दोनों राज्यों में अपनी जबरदस्त हार एवं वहाँ की राजनैतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इन बिन्दुओं पर चर्चा होनी है।

इस समय राहुल गांधी पर भारी दबाव है कि व पार्टी के आगे के रास्ते की रुपरेखा प्रस्तुत करें तथा बतायें कि पराजयों को रोकने तथा विभिन्न समस्याओं का सामना करने के सम्बंध में पार्टी की क्या योजनाएं हैं।

सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है कि विभिन्न राज्यों तथा लोकसभा चुनावों में एक के बाद एक हुई हारों के पीछे असली दोषी ई.वी.एम. हैं।

लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिये, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे ई.वी.एम. के मुद्दे को न केवल उठायें, बल्कि आगे भी बढ़ायें।

शनिवार को, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के बाद, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तथा उन्होंने आधे-अधूरे मन से ई.वी.एम. पर दोषारोपण किया। लेकिन इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पार्टी साफ तौर पर एक रुख अपनाये, जो चाहे इधर हो या उधर, तथा अपनी आदत के अनुसार, ढुलमुल बातें करने में अपना समय बर्बाद न करे।

- उन पर यह भी दबाव है, कि पार्टी की हार का ठीकरा ई.वी.एम. के माथे पर फोड़ें, इसीलिए जयराम रमेश व पवन खेड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर यह थ्योरी चलाई थी। पर राहुल इस सोच के बारे में पूर्णतया सहमत नहीं लगते हैं।
- पर, मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बेबाक यह कहा है कि, पार्टी को ई.वी.एम. मशीन पर विश्वास नहीं है। यह ही पार्टी का अधिकृत सोच बनता नज़र आ रहा है, और राहुल को भी यह सोच प्रतिपादित करनी होगी, मन से या बेमन से।
- जैसा कि स्पष्ट नज़र आ रहा है, महाराष्ट्र की हार के बाद राहुल व प्रियंका लगभग चुप ही हैं, इस हार के मुद्दे पर। पर राहुल को अब सख्त निर्णय लेने ही पड़ेंगे, जिससे पार्टी जीवित रह सके। अब ये सख्त निर्णय ज्यादा दिन नहीं टाले जा सकते।

इस संदर्भ में, यह याद दिलाना उचित होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक सुस्पष्ट बयान दिया कि पार्टी को ई.वी.एम. पर जरा भी विश्वास नहीं है तथा चुनाव मतपत्रों के जरिये होने चाहिये।

पार्टी का यही रुख नजर आ रहा है तथा इसकी गूँज 29 नवम्बर को सी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग में सुनाई दे सकती है।

इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव तथा शरद पवार जैसे नेता का यह विचार पहले से ही है तथा ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि पार्टी इस मामले में गठबंधन के अन्य पार्टनरों के साथ गंभीरता से चर्चा कर सकती है।

उधर, ममता बनर्जी तथा टी.एम.सी. नेता कल्याण बनर्जी राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर खुलकर कटाक्ष कर रहे हैं।

साफ बात यह है कि ममता इंडिया गठबंधन की नेता बनना तथा गठबंधन में अपनी चलाना चाहती हैं।

राहुल इस हार के बाद खामोश हैं तथा प्रियंका गांधी ने भी महाराष्ट्र को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

ये हार गठबंधन के अन्दर राहुल गांधी की स्थिति तथा सोच को कमजोर कर रही हैं। पार्टी नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि वे दृढ़ और दूरगामी निर्णय लें, पुराने निष्क्रिय नेताओं को हटायें, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले (नॉन फरफॉर्मर्स)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोरेन 28 नवम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। झारखंड के राज्यपाल सन्तोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 28 नवम्बर को राँची में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिये आमंत्रित किया है। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल होगा क्योंकि फरवरी 2024 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तथा सत्ता की बागडोर चम्पई सोरेन को सौंप दी थी। लेकिन वे जुलाई 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बन गये थे।

- हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किया।

अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) की चुनावी सफलता के बाद, हेमन्त ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिये प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने मंगलवार को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की।

वे अपने मंत्रालय में मंत्री पदों के लिये कांग्रेस तथा लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड की वजह से एम.वी.ए. की हार हुई'

शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने एक्शन से दल बदल का रास्ता खुला छोड़ दिया

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। शिवसेना (यू.बी.टी.) का मानना है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि पार्टी में विभाजन के बाद, संयुक्त सेना विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिकाओं पर जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने निर्णय नहीं लिया। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि "अपने एक्शन से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक दलबदल के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए और राजनेताओं के मन से कानून का भय खत्म कर दिया।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात की प्रतिक्रिया में कहा है, "पूरे वर्ष हम मौलिक संवैधानिक मामलों से निपटते है, जिनमें से कुछ 20 साल से लंबित हैं। नौ जजों, सात या पांच जजों की बैंच इन केसों पर फैसला लेने के लिए बैठती हैं। अब, क्या किसी राजनीतिक दल को यह निर्णय लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे? सॉरी, यह चॉइस सुप्रीम कोर्ट की है।"

- संजय राउत ने कहा कि इससे नेताओं में कानून का डर खत्म हो गया।
- पूर्व सी.जे.आई. चन्द्रचूड ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि क्या अब राजनैतिक दल तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस केस की सुनवाई करे, माफ कीजिए यह "चॉइस" सुप्रीम कोर्ट की है।
- ज्ञातव्य है कि, जनवरी 2022 में जब शिवसेना का विभाजन हुआ था तब उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से फैसला करने को कहा था, जिन्होंने इस वर्ष जनवरी में शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया था।

जनवरी 2022 में, अविभाजित शिवसेना में एकनाथ शिंदे घटक के विद्रोह के बाद विभाजन हो गया और उद्घव ठाकरे को हटा कर शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ठाकरे ने दलबदल करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए याचिका दायर की,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अजित पवार से गठबंधन कर सरकार बनाएं'

भाजपा नेतृत्व ने देवेन्द्र फड़नवीस को स्पष्ट निर्देश दिया

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को अपने नेता देवेन्द्र फड़नवीस से कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे पद से हटने से इन्कार करें, तो वे (फड़नवीस) मुख्यमंत्री पद के लिये अपना दावा प्रस्तुत कर दें। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सलाह दी कि वे अजित पवार के नेतृत्व वाली नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) से गठजोड़ कर लें।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि अजित पवार ने इस आइडिया को मान लिया है, क्योंकि भाजपा 132 सीटें जीत कर मजबूत स्थिति में है तथा वह अजित पवार गुट के समर्थन से बहुमत का आँकड़ा, जो 145 सीटों का है, प्राप्त कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि अन्य पार्टियों के कुछ "मूक" समर्थक भी फड़नवीस को समर्थन दे सकते हैं।

- चर्चा है कि महायुति गठबंधन में दरार पड़ गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
- अगर भाजपा अजित पवार की एन.सी.पी. के साथ ही गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो भी उसके पास पूर्ण बहुमत है।
- अजित पवार ने यह बात मान ली है कि भाजपा के पास बहुमत है तो गठबंधन को वही लीड करेगी।

फड़नवीस पहले 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा 2019 में भी अजित पवार के साथ हुये अल्पकालिक गठबंधन के साथ वे बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य में हुये इन चुनावों, जिनमें भाजपा ने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया है, में उनके नेतृत्व को पार्टी की रणनीति के एक निर्णायक कारक होने का श्रेय दिया जा रहा है।

गठबंधन के अन्दर पैदा हो रही चिन्ताओं का समाधान करने के लिये, ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि भाजपा शिन्दे तथा पवार, दोनों को ही उपमुख्यमंत्री पद की पेशकश करेगी। लेकिन, मंत्री पद के लिये विभागों और संसाधन आवंटन से सम्बन्धित मुद्दों का अभी समाधान नहीं हुआ है तथा इस दिशा में बातचीत चल रही है। शिन्दे-समर्थक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिये दबाव बना रहे हैं।

जे.डी.सी. आनंदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 26 नवंबर। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त, आई.ए.एस. आनंदी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह आनंदी को गिरफ्तार कर 18 दिसंबर तक आयोग के समक्ष पेश करे। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राज सिंह अजमेरा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

- जिला उपभोक्ता आयोग ने 10 नवम्बर 2023 के निर्देश की पालना नहीं करने पर जे.डी.सी. के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया है।

सुनवाई के दौरान, जे.डी.ए. की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया, जिसे आयोग ने खारिज करते हुए जे.डी.सी.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कनक भवन के मालिकाना हक से जुड़े मामले में महाराज पद्मनाभ को राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संपत्ति से जुड़े किसी भी मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं होगी

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 26 नवम्बर। सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी निवास होटल के भीतर निर्मित कनक भवन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों में चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किये हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट उक्त मामले में दायर अपीलों और आवेदनों पर सुनवाई न करे। न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला और न्यायाधीश आर.महादेवन ने यह आदेश महाराज पद्मनाभ की ओर से विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) पर सुनवाई करते हुए दिये। इस मामले में याचिकाकर्ता महाराज पद्मनाभ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला और सहायक वकील शाश्वत पुरोहित की ओर से पैरवी की गई।

मामले के तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2003 में मृदुला गुप्ता व रामशरण गुप्ता की ओर से सैशन जज के समक्ष कनक भवन के 1986 में बेचान को लेकर सेल डीड की क्रियान्विति के लिये मामला दायर किया गया। परंतु वर्ष 2005 में निचली अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट 1993 में इस संपत्ति के बेचान के अनुबंध को निरस्त कर चुका है। इस बीच, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उक्त संपत्ति (कनक भवन) पर से अतिक्रमण हटाने की गुहार की गई। परंतु वर्ष 2010 में इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने पुनः अपने आदेश को दोहराया कि 1986 में किया गया बेचान का अनुबंध अमान्य है।

- जैसा कि विदित है कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सैंट्रल पार्क की संपत्ति जयपुर के भारत में विलय के बाद सरकारी संपत्ति बन गई थी। वहीं रामबाग, लिलिपूल और उसके आसपास की संपत्ति "कोवोनेंट" के अनुसार राजपरिवार की संपत्ति है।
- उल्लेखनीय है कि कनक भवन के बेचान से संबंधित विवाद कई बार निचली अदालत, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गये हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आदेश में यह स्पष्ट रुप से कह दिया कि इस संपत्ति के बेचान के लिये अनुबंधन अमान्य है।
- वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट में इस केस में रामशरण गुप्ता व अन्य की ओर से संपत्ति के मूल मालिक ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वंशजों को जोड़ने के लिये आवेदन इसलिये पेश किया गया ताकि उनके निधन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यह मामला निष्फल या निरस्त ना हो

तत्पश्चात, रामशरण गुप्ता व अन्य ने हाईकोर्ट के 2010 के आदेश से आहत होकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ही वर्ष 2011 में, इस संपत्ति के पूर्व मालिक ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह का निधन हो गया।

पाठकों को बता दें कि कनक भवन तथा लक्ष्मी विलास होटल और सैंट्रल पार्क की संपत्ति राज पुताना के सामंती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में इस्कॉन प्रमुख चिन्मय प्रभु गिरफ्तार

ढाका, 26 नवंबर। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, तो बांग्लादेश नैशनलिष्ट पार्टी और जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में हिंदू समुदाय के 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान

- हिंदू समुदाय ने सड़कों पर विरोध जताया तो जमात और बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया, हमले में 50 से ज्यादा हिन्दू घायल हो गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना सरकार ने फटाफट अडानी ग्रुप का सौ करोड़ रुपये का चैक लौटाया

यह चैक गौतम अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी को दान के रूप में दिया था, तेलंगाना "स्किल डवलपमैंट युनिवर्सिटी" बनाने के लिए

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इसका स्पष्ट संकेत तब मिला, जब तेलंगाना सरकार ने अडानी से 100 करोड़ रु. का दान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, जो अडानी ने स्किल डवलपमैंट युनिवर्सिटी के निर्माण के लिए दिया था। तेलंगाना सरकार ने औपचारिक रुप से 100 करोड़ रु. की फंडिग को ठुकरा दिया है क्योंकि अडानी ग्रुप पर अमेरिकन कोर्ट में रिश्वत का केस दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री रैवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार यंग इंडिया स्किल डवलपमैंट युनिवर्सिटी के लिए किसी से भी अनुदान नहीं लेगी, इसमें अडानी की कम्पनी भी शामिल है।

- चैक वापसी का निर्णय इस बात का प्रमाण है, कि राहुल गांधी व कांग्रेस अडानी ग्रुप के खिलाफ अपना विरोध और तीव्र करेंगे, संसद व उसके बाहर भी।
- विपक्ष ने, विशेषकर बी.आर.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कटाक्ष किया, एक तरफ तो राहुल गांधी, मोदी व अडानी के गहरे सम्बंधों को "मोडानी" कहकर खिल्ली उड़ाते हैं, दूसरी और तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवन्त रेड्डी, अडानी से मित्रता करके सौ करोड़ रुपये का दान लेते हैं, तो क्या नये प्रेम को "रेवडानी" और इस मित्रता को राहुल गांधी का प्रश्रय प्राप्त है, अतः क्या राहुल अडानी सम्बन्धों के "रागाडानी" नहीं कहना चाहिए।

सोमवार को राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप को लिखा था कि उनकी सरकार स्किल युनिवर्सिटी के लिए उनका 100 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि यह अनुबंध एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए राज्य में ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निविदा जारी की जानी चाहिए। एक सही व्यवस्था व लोकतांत्रिक तरीके से टैंडर दिए जाने चाहिए, चाहे ये अंबानी को मिले या अडानी या टाटा को।

स्किल युनिवर्सिटी के लिए अडानी ग्रुप की ही तरह कई अन्य कम्पनियों ने भी फंड देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि "मैं यह निर्णय दोहराता हूँ कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से 100 करोड़ रु. का फंड नहीं लेगी।"

तेलंगाना के स्पेशल चीफ सैक्रेटरी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन के सरकारी आयुक्त जयेश रंजन ने अडानी फाउण्डेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को सूचना दी है कि राज्य यंग इंडिया स्किल युनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रु. का अनुदान देने की पेशकश के लिए आपका आभारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़कों पर उतरे इमरान समर्थक

इस्लामाबाद, 26 नवंबर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण अर्धसैनिक बल के चार जवान और दो पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। इस हिंसा के कारण, सरकार ने राजधानी में सेना तैनात करने के साथ ही, आदेश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए।

- इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सरकार ने सेना तैनात की और उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)